| SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDUR CODE, 1898 In the court of प्राप्त अवेरम. एफ.सी गोहद मिण्ड प्रकरण कमांक /2017 | |
|--|------|
| Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना जिला प्रशासन मिण्ड म०प्र० | |
| प्रशासन मण्ड मण्डल मण्डल मण्डल मण्डल मण्डल है । जाने मण्डल के अपने प्रवासन मण्डल मण्डल मण्डल मण्डल मण्डल मण्डल | |
| name, parentage, caste and address of accused | |
| के अनुसार कि अनुसार प्रकार राम की | |
| कीडा अधिनियम के अपराध का दीवी ठहरायां काता है एवं अभियुक्त/ अमियुक्तवियम का भिया निव्या काता है। | |
| | |
| The offence complained of, and date of its alleged commission आपने दिनांक अप्रिकार्थ को भिर्माण को भिरमण बजे से भिरमण बजे के मध्य स्थान में ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का | |
| तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों। | |
| पिक्ति प्रकारिक प्रति है प्रथम है | मेणी |
| The plea of the accused and bis examination [if any] जिला जिला (म.ऽ) आरोपी का अभिवाक- | J.) |
| भाग्रिकारी श्रामा १००० किट भाग्या है स्वायक मिल्ट प्रथम अ | णी |
| न्यायिक भाजस्य गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र |) |
| | |

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE eest 3000 शप्त 300 //निर्णय//

(आज दिनांक अक्टिक्ट को घोषित किया गया)

- अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- अभियुक्त / अभियुक्त गण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धरा 13 सार्वजनिक धूत कीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत रूपये किया जाता है।

अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को....दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

4. प्रकरण में जप्तशुदा के जिल्हा के स्थाप का किया के अपील अविध पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो।

स्थान-भिण्ड

दिलांक- ८००

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

> च्यायिक मिलस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-मिण्ड (म.प.)

he offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e)

clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

न्याविक मिलस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)